

मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-अप्रैल, 2002 सत्र

निधन ३ का ११

विधानसभा में गोपनीय विधायक विधायकों की सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे।

गुरुवार, दिनांक 28 फरवरी, 2002 (फाल्गुन ७, 1923)

समय 10.30 बजे दिन गोपनीय विधायक विधायकों की सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे।
1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जाएंगे।

2. पत्रों का पठन पर रखा जाना

काहीपाँडि ३५०७८ अग्रे

(1) श्री हजारी लाल रघुवंशी, संसदीय कार्य एवं राजस्व मंत्री :-

कोटा ४५०१०१

(क) मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेशन अधिनियम, 1972 की धारा-9 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2387-एक-(2)-62-अड्डालीस-2001-(सं.का.), दिनांक 24 दिसम्बर, 2001;

(ख) मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेशन अधिनियम, 1972 की धारा-9 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2389-एक-(2)-63-अड्डालीस-2001-(सं.का.), दिनांक 24 दिसम्बर, 2001; तथा

(ग) श्री जी. जगतपति, भूतपूर्व मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मार्श, 1998 से दिसम्बर, 1992 तक की अवधि में शहरी क्षेत्र में भूमि अन्तरणों के संबंध में गठित जांच समिति मध्यप्रदेश का जांच प्रतिवेदन क्रमांक न.नि. 10 नगर निगम, खोपाल,

पठल पर रखेंगे।

(2) श्री नरेन्द्र नाहटा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (उ) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश स्टेट टेक्स्टार्ड कार्पोरेशन लिमिटेड खोपाल (म.प.) का 27 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा (वर्षान्त 31 मार्च 1998) पठल पर रखेंगे।

(3) श्री घनश्याम पाटीदार, राज्य मंत्री सामान्य प्रशासन, जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा ३ (4) की अपेक्षानुसार-

(क) गरोठ (मंदसीर) न्यायिक जांच आयोग का प्रतिवेदन, ३० जुलाई, 2000 द्वारा श्री प.एन.एस. श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, होशंगाबाद, शासन के संकल्प सहित,

(ख) मैहर (सतना) गोलीचालन जांच आयोग का प्रतिवेदन, 20 अक्टूबर, 2000 द्वारा श्री रामकृष्ण बेहार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पञ्चा (शासन के संकल्प सहित), तथा

(ग) मुलताई (बैतूल) गोलीचालन जांच आयोग का प्रतिवेदन, 10 नवम्बर, 2000 द्वारा श्री पी.सी. अग्रवाल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर, शासन के संकल्प सहित,

पठल पर रखेंगे।

3. नवम्बर, 2001 सत्र निर्वाचित अवधि से पूर्व स्थगित हो जाने के कलावरक प्रोष्ठ विनाकों के प्रश्नोत्तरों का संकलन तथा इसी सत्र के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का पठल पर रखा जाना।

4. नियम 287-क के अधीन नवम्बर, 2001 सत्र में सदन में पढ़ी गई सुचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पठल पर रखा जाना।

5. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विवेयकों की सूचना।

-2-

6. नियम 138 (1) के अधीन व्यापार आकर्षण

(1) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, सदस्य, छिवाड़ा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में संकायकरण के लिए अपनी विचारादारी की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंडी का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) डॉ. स्तीतासरन शर्मा, श्री नरेन्द्र सिंह लोमर, श्री नरोत्तम मिश्रा, सदस्य, प्रदेश के अनेक खेतों में इल्ली के प्रकोप से फसल नष्ट होने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

७. इन्हाँसि शालिक्य की ओरपा.

8. विद्यालय

श्री अजय सिंह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, दिनांक 6 नवम्बर, 2001 को पूछे गये ताराकिल प्रश्न संख्या 13 (क्रमांक 582) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में तकल्लु हैं-

१ अधिकारीक अंगठी

श्री हजारी लाल रघवेशी, संसदीय कार्य मंत्री, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेगे:-

(1) "यह सदन मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य बैठन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की धारा 6 के साथ पठित धारा 9 की उपधारा (1) तथा (2) के खण्ड (क-1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन बनाए गए मध्यप्रदेश विधान मंडल यात्रा नियम, 1957 में किए गए संशोधनों का, जो संसदीय कार्यविभाग की अधिसूचना क्रमांक 2387-एक-(2)-62-अडिलालीस-2001-(सं.का.), दिनांक 24 दिसम्बर, 2001 द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 671, दिनांक 26 दिसम्बर, 2001 में प्रकाशित किए गए हैं, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के अनुसरण में अनमोदन करता है."

(2) "यह सदन मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पैशान अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की धारा 5-क के साथ पठित धारा 9 की उपधारा (1) तथा (2) के खण्ड (क) क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन बनाए गए मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य (रेल द्वारा नि:शुल्क अभिवहन) नियम, 1978 में किए गए संशोधनों का, जो संसदीय कार्य विभाग की आधिसूचना क्रमांक 2389-एक-(2)-63-अड़तालीस-2001-(सं.का.), दिनांक 24 दिसम्बर, 2001 द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 672, दिनांक 26 दिसम्बर, 2001 में प्रकाशित किए गए हैं, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के अनुसरण में उनुमोदन करता है."

10. चार्चपाल के अधिभाषण पर श्री सचमुचि पटेल, सरकार्य, द्वारा विनाक 25
जनवरी 2023 को प्रसारित किया गया है।

"राज्यपाल ने जो अधिभाषण दिया उसके लिये मध्यप्रदेश की विधान सभा बैठक में उन्हें साप्तर्णि अवार्ड दिया गया है।"

१८०

मायाल : २३ अक्टूबर २०१३

डॉ. प. के. पाण्यासी